मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
प्रधान कार्यालयः एन-2, दूसरी मंजिल, साऊथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली-110049

शुद्धिपत्र

यह कर्जदार **शीला वैष्णव कुमार (LP000000010952)** की अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए, सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत **बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी एवं हिन्दी), जयपुर संस्करण** में **दिनांक 10.04.2026** को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में है। एतद्द्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर को सूचना दी जाती है कि प्रशासनिक कारणों से पूर्व में अधिसूचित तिथियों को निर्धारित कार्यवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए, संशोधित अनुसूची निम्नानुसार है: **सम्पत्ति के ऑन-साइट निरीक्षण की तारीख एवं समयः 20.05.2026 को सुबह 10.00 बजे; ई-नीलामी की तारीख एवं समयः 21.05.2026 को सुबह 10.00 बजे, ईएमडी जमा करने तथा बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीखः 20.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे।** मूल बिक्री सूचना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अधिकृत अधिकारी
मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
तारीखः 14.05.2026, स्थानः कोटा, राजस्थान

Protium

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में ज्ञात)

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय पताः 7वां तल, ब्लॉक बी2, फेज– निर्लोन नॉलेज पार्क, पहाड़ी ग्राम ऑफ द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव(ई), मुंबई–400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8(1) के सहपठित परिशिष्ट IV और धारा 13(4) के तहत)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ज्ञात) (इसके बाद ''प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड'' से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तनअधिनियम, 2002(2002 का 54) (सरफैसी अधिनियम)और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की **धारा 13(2) के सहपठित नियम** 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में **दिनांक 06 मार्च, 2026** को मांग सूचना जारी करते हुए **कर्जदारों विनायक आर्ट अपने मालिक के माध्यम से अक्षय कुमावत पुत्र मदन हरि कुमावत सह–कर्जदारों 1.मदन लाल कुमावत पुत्र नंद राम कुमावत 2. राम हरि कुमावत पुत्र मदन लाल कुमावत, 3. अक्षय कुमारत पुत्र मदन लाल कुमावत, 4 चंचल कुमावत पत्नी अक्षय कुमावत** को संबंधित ऋण खाता धारक सं. **GS010LAP2436559** से सूचना में उल्लेखित देय राशि **रूपये 1,49,27,342.81/– (रूपये एक करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार तीन सौ बयालीस और पैसा इक्यासी मात्र) 06 मार्च, 2026 तक** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।
कर्जदारों देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **इस मई के 13वें दिन वर्ष 2026** को निम्न वर्णित संपत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन देय राशि **रूपये 1,49,27,342.81/– (रूपये एक करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार तीन सौ बयालीस और पैसा इक्यासी मात्र) 06 मार्च, 2026 तक** और उस पर भविष्य का ब्याज, प्लस लागतों ,प्रभारों, व्ययों सहित प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति 1: – प्लॉट सं. 33, शिवाजी कॉलोनी, खसरा सं. 5973, टौंक क्षेत्र 205.76 वर्ग मीटर (इसके बाद उक्त संपत्ति से संदर्भित) चार भूजा: पूर्व: प्लॉट सं. 32, पश्चिम: प्लॉट सं. 34, उत्तर: प्लॉट सं. 37,38, दक्षिण: 30 फुट सड़क, **संपत्ति 2:**–प्लॉट संग पट्टा सं.233, गली कारिगरां, मेहंदी भाग, टौंक क्षेत्र 140.55 वर्ग गज (इसके बाद उक्त संपत्ति से संदर्भित) चार भूजा: पूर्व: भागचंद जैन का मकान, पश्चिम: साझा सडक फिर बाबूलाल, उत्तर : साझा रास्ता, दक्षिण: लाडला कायमखानी का मकान

दिनांक : 13 मई, 2026
कब्जे का स्थान : राजस्थान

प्रति, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

ACRE MAKING ASSETS WORK

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019, कॉर्पोरेट कार्यालयः एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड यूनिट संख्याः 502, सी विंग, वन बीकेसी, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, **बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल)** के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **27.06.2025** को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटरों **हेमंत देवपुरा और शाह जैन लालाराम** को नोटिस में उल्लिखित राशि **3518215/– रुपये (पैंतीस लाख अठारह हजार दो सौ पंद्रह रुपये मात्र)** का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जो ऋण खाता संख्या **H419HLD1105191** और **H419HLT1112502** के विरुद्ध दिनांक 12.06.2025 तक देय है, और उस पर ब्याज का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का अनुरोध किया गया था।
इसके अलावा, **बीएचएफएल** ने उपरोक्त ऋण खाते के अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिए हैं, जो एसीआरई–178–ट्रस्ट ("एसीआरई")** के न्यासी के रूप में 23.09.2025 के एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से कार्य कर रहा है।
चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 08–05–2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।
चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 08–05–2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करें और इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, **एसीआरई–178–ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में कार्य कर रही **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड.** के प्रभार के अधीन होगा। यह प्रभार **12.06.2025** की स्थिति के अनुसार **रूपये 35,18,215/– (केवल पैंतीस लाख अठारह हजार दो सौ पंद्रह रुपये)** की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के लिए है।
ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट संख्या 317, दूसरी मंजिल, ब्लॉक ए, अर्थ टावर, द यूनिवर्स, प्लॉट संख्या 1 और 2, खसरा संख्या 1, 2, 3, 4 और अन्य, ग्राम तितार्डी, तहसील गिरवा, उदयपुर, राजस्थान, 313002, पूर्वः खुला क्षेत्र, उत्तरः फ्लैट संख्या 313, पश्चिमः खुला क्षेत्र, दक्षिणः खुला क्षेत्र

दिनांकः 08/05/2026
स्थानः राजस्थान

अधिकृत अधिकारी, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
(एसीआरई –178–ट्रस्ट)

किसी भी शिकायत के लिए आप शिकायत निवारण अधिकारी श्री मोहम्मद शारिक मलिक से संपर्क कर सकते हैं। उनका फोन नंबर 1800–209–2989 है और ईमेल का ईमेल पता हैः Customercare@acreindia.in। संगठन में शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित विस्तृत नीति https://www.acreindia.in/compliance पर उपलब्ध है।

FORM NO. IV
(See sub-rule (2A) of rule 5)
Summon under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub rule (2A) of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR AT
2nd & 3rd Floor Sanchar Vikash Bhavan (BSNL Building) Near Head Post Office Residency Road, JABALPUR (M.P.) - 482001
CASE NO. O.A. No. 966/2021
SUMMONS THROUGH PUBLICATION

UCO Bank
VERSUS
Shri Rajkumar Tambhare Tambhare And Others
1. Shri Rajkumar Tambhere S/o Shri Urkudji Tembhere,
Village- Rengajhari, District-Balaghat (M.P.) Pin-481335
2. CGR Collateral Management Pvt.Ltd,
(i) Office No.335, Third Floor, JMD Megapolis Sector, 48, Sohna Road, Gurugram, Haryana, Pin-122018
(ii) **Registered Office at: (As per ROC search)** Shop no.151, 1st Floor, New Dhan Mandi, Sri Ganganagar, Rajasthan, Pin- 335001
3. (i) M/s Sahare Warehouse(Godown -2 To 7), Prop. Shri Tamesh Sahare,
Plot No.-381, Post- Tumadi, Village-Navergaon, Tehsil- Waraseoni, District- Balaghat (M.P.) PIN 481331
(ii) Shri Tamesh Sahare, S/o Shri Kishore Sahare,
Village- Nandgaon, Budbuda, Tehsil- Waraseoni, District- Balaghat (M.P.) 481001
Whereas. **OA No. 966/2021** was listed before Hon'ble Presiding Officer on **15/03/2022**
Whereas this Hon'ble Tribunal Please to issue summons/notice on the said Application under 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 34,46,000.00** with expenses & future interest (application along with copies of documents etc. annexed).
In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under.
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties is closed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over assets.
You are also directed to file the written statement with copy there furnished to the applicant and to appear before Registrar on **05/08/2026 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Give under my hand and seal of the Tribunal on this the **4th day of May 2026.**
By Order of the Tribunal

(Seal)

Registrar
Debts Recovery Tribunal
Jabalpur

FORM NO. IV
(See sub-rule (2A) of rule 5)
Summon under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub rule (2A) of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR AT
2nd & 3rd Floor Sanchar Vikash Bhavan (BSNL Building) Near Head Post Office Residency Road, JABALPUR (M.P.)
CASE NO. O.A. No. 932/2021
SUMMONS THROUGH PUBLICATION

UCO Bank
VERSUS
Shri Bhuvanalal Mahule And Others
1. Shri Bhuvan lal Mahule S/o Shri Puranlal Mahule,
Ward no. 09, Post-Sihora, Tehsil- Kiranpur, District- Balaghat (M.P) Pin-481335
2. CGR Collateral Management Pvt.Ltd,
i. Office No.335, Third Floor, JMD Megapolis Sector, 48, Sohna Road, Gurugram, Haryana, Pin-122018
ii. Registered Office at: (As per ROC search) Shop no.151, 1st Floor, New Dhan Mandi, Sri Ganganagar, Rajasthan, Pin - 335001
3. (i) M/s Sahare Warehouse(Godown 2-7), Prop. Shri Tamesh Sahare, Plot No.381, Post-Tumadi, Village-Navergaon, Tehsil-Waraseoni, District-Balaghat (M.P) PIN 481331
(ii) Shri Tamesh Sahare, S/o Shri Kishore Sahare, Village- Nandgaon, Budbuda, Tehsil-Waraseoni, District- Balaghat (M.P.) 481001
Whereas. **OA No. 932/2021** was listed before Hon'ble Presiding Officer on **11/03/2022**
Whereas this Hon'ble Tribunal Please to issue summons/notice on the said Application under 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 34,76,934.00** with expenses & future interest (application along with copies of documents etc. annexed).
In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under.
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) to disclose particular of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties is closed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over assets.
You are also directed to file the written statement with copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **19/08/2026 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Give under my hand and seal of the Tribunal on this the **4th day of May 2026.**
By Order of the Tribunal

(Seal)

Registrar
Debts Recovery Tribunal
Jabalpur

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड
Cent Bank Home Finance Limited
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

ऋणी / सह ऋणी / जमानतदारों, द्वारा उक्त सूचना पत्र लेने से इनकार करने एवं बिना तामील वापसी के अंतर्गत अख़बार में यह नोटिस, धारा 13(2), सेक्शन 13(8) एवं 13(13)सरफेसी एक्ट के तहद प्रकाशित

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋण को गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित तिथि पर उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में आपकी विफलता के मामले में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता/गारंटर के स्वामित्व वाली बंधक संपत्ति पर कब्जा लेने का अपना इरादा दर्शाया है। विवरण नीचे दिए गए हैं।

उधारकर्ता और गारंटर का नाम और पता	अचल संपति का विवरण	मांग सूचना की दिनांक / एन.पी.ए. दिनांक	एनपीए की तिथि अनुसार बकाया राशि (₹)
1. श्री रसिक पांडे पुत्र श्री गिरजा शंकर पांडे (आवेदक) 2. श्रीमती दीक्षा पांडेय पत्नी श्री रसिक पांडे (सह-आवेदक) ऋण खाता संख्या (LAN): 01202230000039	उक्त संपत्ति का समस्त भाग एवं खंड, जो फ्लेट नं. F-2, प्रथम तल, प्लॉट नं. 87, महाराजा किशन सिंह नगर, रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, **जिसका क्षेत्रफल 1150 वर्ग फुट (बिल्ट-अप एरिया) है।चतुर्सीमा:- इस प्रकार हैं: पूर्व:** प्लॉट नं. 83 एवं 84 (आंशिक भाग), **पश्चिम:** प्लॉट नं. 89, **उत्तर:** 40 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट नं. 88	19.03.2026 / 10.03.2026	20,36,446/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क
1. श्री मुकेश कुमार कुमावत पुत्र श्री हरि राम कुमावत (आवेदक) 2. श्रीमती सजना देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार (सह-आवेदक) ऋण खाता संख्या (LAN): 01202320000099	समस्त वह भाग एवं हिस्सा, प्लॉट संख्या –1-A, खसरा संख्या 13/0.28, मोहल्ला-बुचाहेड़ा, फोजा वाली स्कूल के पास, कोटपूतली, दिल्ली रोड, जिला जयपुर, राजस्थान, **जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। चतुर्सीमा:- पूर्व:** कॉमन वे **पश्चिम :** प्लॉट संख्या 22 **उत्तर :** प्लॉट संख्या 02 **दक्षिण :** प्लॉट संख्या 01	15.04.2026 / 10.04.2026	11,34,388/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क

नोटिस सुपुर्दगी के लिय वैकल्पिक कदम भी उठाये जा रहे है, उपरोक्त ऋणी/ सह-ऋणी उनके जमानतदारों (यदि लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, विफल होने पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 उपधारा (4) के तहत आगे कदम उठाये जायेंगे।

स्थान : जयपुर, दिनांक : 13.05.2026
प्राधिकृत अधिकारी, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, जयपुर

शाखा : एफ-111, प्रथम तल, संगम टॉवर, चर्च रोड, जयपुर-302001, फोन: 0141-4011608, 2360013, www.cbhfl.com

---

BAJAJ FINANCE

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : सी/ओ बजाज ऑटो कॉम्प्लेक्स, मुंबई–पुणे रोड, आकुर्दी, पुणे–411035, महाराष्ट्र, भारत 411035,
शाखा कार्यालय : बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, डी46/बी, 5वां तल, मंगलम एम्बीशन टावर, सुभाष मार्ग सी, अग्रसेन सर्किल, निकट मालन का चौराहा, जयपुर, राजस्थान– 302001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना उन कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उनको दिए गए होम लोन(लोन्स)/ सम्पत्ति के ऐवज में लोन(लोन्स) के मूलधन और उसपर उदभूत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप लोन(लोन्स) अनार्जक आस्ति (एनपीए) हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतिम ज्ञात पते पर, जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया रशियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता	प्रतिभूत अचल सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना तिथि एवं राशि
4190HL20271241 और 4190HL20271729 **मेघ राज सोलंकी (कर्जदार)** **कांता सोलंकी (सह–कर्जदार)** **दोनों निवासी** : – एफ–611 शिवशक्ति पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, विधाधर नगर, जयपुर–302023 **ग्लोबल स्टील कॉर्पोरेशन (सह–कर्जदार)** **पता** : 603, छ्ठा तल, नॉर्थ एवेन्यू रोड नंबर 9 वीकेएल एरिया, जयपुर –302023	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर एफ–611, छठा तल, बिल्ट–अप एरिया 1250 वर्ग फीट, उक्त फ्लैट 'शिव शक्ति पैराडाइज', प्लॉट नंबर ए–6, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है – उत्तरः खुला, पूर्वः खुला, पश्चिमः खुला, दक्षिणः एफ. नंबर 610	22–04–2026 रु. 73,77,258/– (रुपये तिहत्तर लाख सतहत्तर हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) 21–04–2026 तक

सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह–कर्जदारों गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति आस्ति/बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बगैर) की जाएगी।
उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। जिन पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 14–05–2026 स्थान : जयपुर
हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड

DCB BANK

डीसीबी बैंक लिमिटेड,
कार्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय : छठा तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013
द्वितीय तल, एस–1 से एस–2 तक, गीजगढ़ टावर, हवा सड़क, सिविल लाइन्स, जयपुर – 302006

ई–नीलामी बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 (1) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) सह–कर्जदार(रों) और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अंतर्गत कब्जा ले लिया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे वर्णित बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए सम्पत्तियां नीचे वर्णित निविदा सह सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेची जाएंगी :–
सम्पत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" "जैसी है वैसी है" "जो है वहां है" तथा "कोई रिकोर्स नहीं" आधार पर किसी भी प्रकार की वारंट एवं क्षतिपूर्ति के बगैर बेची जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार तथा सह–कर्जदारों का नाम	1. सुरक्षित मूल्य 2. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि और समय	कब्जे का प्रकार	बकाया राशि/ मुकदमों का विवरण
1	संजय कुमार भाला, मैसर्स यूनिक कॉर्न ग्लोबल (इसके स्वामी श्री संजय कुमार भाला के माध्यम से) और श्रीमती सरोज भाला	1. रु. 38,00,000/– (केवल अड़तीस लाख रुपये), 2. रु. 3,80,000/– (केवल तीन लाख अस्सी हजार रुपये), 3. रु. 25,000/– (केवल पच्चीस हजार रुपये)	02–06–2026 और पूर्वा 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक	भौतिक	रु. 51,54,408/– (इक्यावन लाख चौवन हजार चार सौ आठ रुपये मात्र) / एनए
	बंधक सम्पत्ति का विवरण : यूनिट जी–1, प्लॉट नंबर 3, परिमाप 1246.21 वर्ग फीट, जो नांगक जैसा बोहरा मुरलीपुरा, जिलाः जयपुर, राजस्थान–302039 में स्थित है।				
2	संदीप पुत्र कन्हैया लाल, कन्हैया लाल पुत्र रामूलाल और कोमल पत्नी संदीप कुमार	1. रु. 14,75,000/– (केवल चौदह लाख पचहत्तर हजार रुपये) 2. रु. 1,47,500/– (एक लाख सैंतालीस हजार पांच सौ रूपये मात्र) 3. रु. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)	02–06–2026 और पूर्वा. 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक	भौतिक	रु. 31,51,292.43/– (रुपये इकतीस लाख इक्यावन हजार दो सौ बानवे तथा पैसे तैंतालीस मात्र) / एनए
	बंधक सम्पत्ति का विवरण : मकान नंबर 1–बी–68, कमला नेहरू नगर, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, पाली, जोधपुर, राजस्थान – 306401				

निरीक्षण तिथि और समय : सभी संपत्तियों हेतु 25–05–2026 से 29–05–2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे के बीच संपर्क करें श्री नवीन शर्मा – मोबाइल 9351776625 तथा श्री अशोक मंगल – मोबाइल – 9828052437 पूर्वा. 11 बजे से अप. 6 बजे तक

ईएमडी जमा करने की तिथि और समय 01–06–2026 को अथवा पूर्व अप. 6.00 बजे तक, और भागीदारी के अनुरोध पत्र के साथ केवाईसी, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण ईमेल आईडी naveen.sharma2@dcbbank.com, तथा ashokm@dcbbank.com पर भेजें।

इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि लाभार्थी डीसीबी बैंक लिमिटेड के पक्ष में केवल डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा जमा करनी होगी।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें
1) सम्पत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" "जैसी है वैसी है" तथा "कोई रिकोर्स नहीं" आधार पर किसी भी प्रकार की वारंट एवं क्षतिपूर्ति के बगैर बेची जा रही है।
2) सभी कानूनी बकाया/अनुषंगी प्रभार/अन्य बकाया, जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स वगैरह शामिल हैं, खरीदार को देने होंगे और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक ऐसे किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार ऋणभार या सरकार या किसी और के किसी भी दूसरे बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जो ई–नीलामी वाली सम्पत्ति के बारे में बैंक को पता नहीं हो। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे सम्पत्ति पर मौजूद ऋणभार, जिसमें कानूनी देनदारियां, सम्पत्ति कर, बिजली का बकाया इत्यादि शामिल हैं, के बारे में स्वयं जांच करें।
3) (संपर्क करें टी. जया प्रकाश रेड्डी, मोबाइल नंबरः 8142000064 : बैक एंड ऑफिसः 8142000066/63/62, ऑफिस मेल आईडीः info@bankauctions.in और मेल आईडीः prakash@Bankauctions.in उनके वेब पोर्टल https://bankauctions.in/ पर ऊपर दी गई तालिका में वर्णित तिथियों पर 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए https://dcb.bank.in/cms/showpage/page/customer-corner लिंक देखें।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा तथा नीलामी सेवा प्रदाता (4closure.com) मोबाइल नंबर 8142000064 : बैक–एंड ऑफिस : 8142000066/63/62 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि, संभावित बोलीदाता केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5) नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है, इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है।

दिनांक : 14–05–2026
स्थान : पाली, जयपुर, राजस्थान

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली – 110025, सीआईएनः यू65900डीएल2020पीएलसी366027

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदारगण, जिनके द्वारा **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** मुख्यालय **तृतीय तल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर–125, नोएडा–201303** से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई थीं, अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को चुकाने में असफल रहे हैं और उनके खाते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। कर्जदारों ने **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिनका विवरण यहां नीचे दिया गया है। कर्जदारों द्वारा **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को देय और बकाया राशियों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है।
कर्जदार/कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार/कर्जदारों के विरूद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नाम के सामने वर्णित बकाया राशि इस सूचना के 60 दिन के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत उसको प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनमें सम्पत्तियों का कब्जा लेना और उनको बेचना शामिल है। सर्वसाधारण को नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदार/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम	प्रतिभूत आस्ति/सम्पत्ति का विवरण
1. **श्री कपिल रावल पुत्र श्री मुकुट बिहारी रावल (कर्जदार)** 494, केवट मोहल्ला नयापुरा, पीओ : मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान–325219, 2. **श्रीमती निर्मला बाई पत्नी श्री मुकुट बिहारी (सह–कर्जदार/बंधकदाता)** 494, केवट मोहल्ला नयापुरा, पीओ : मोठपुर, तहसील अतरू, जिला बारां, राजस्थान–325219,	संपत्ति पर न्यायिक बंधक : आवासीय संपत्ति क्षेत्रफल 975 वर्ग फीट, 90.58 वर्ग मीटर, जो पट्टा नंबर 06, संकल्प नंबर 01, खसरा नंबर 991, गांव मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान में स्थित है। सब–रजिस्ट्रार कार्यालय बही नंबर 1, जिल्द नंबर 46, पेज नंबर 8, सीरियल नंबर 20240332102338, दिनांक 11–12–2024 में श्रीमती निर्मला बाई पत्नी श्री मुकुट बुहारी के नाम पर पंजीकृत है। चौहद्दी : पूरबः आम रोड, पश्चिमः सीता बाई, उत्तरः आम रोड, दक्षिणः छीतर लाल **ऋण खाता सं., मांग सूचना तिथि और राशि** **ऋण खाता सं. :** 103041550870, **मांग सूचना तिथि :** 13–05–2026 **बकाया राशि :** रुपये 5,91,000/– (रुपये पांच लाख इक्यानवे हजार मात्र) 12–05–2026 तक **एनपीए तिथि : 06–05–2026**
1. **श्री राजू राम पुत्र श्री गिरा राम (कर्जदार/बंधकदाता)** 201, नायको का बास, ग्राम खुरीकलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान–341503, 2. **श्रीमती सरोज पुत्री श्री मदन लाल (सह–कर्जदार)** नायको का बास, खंगाटा, जोधपुर खंगाता, राजस्थान–342606, 3. **श्री गिरा राम पुत्र गणेश राम (सह–कर्जदार)** 201, नायको का बास, ग्रमा खुरीकलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान–341503,	संपत्ति पर न्यायिक बंधक : आवासीय संपत्ति क्षेत्रफल परिमाप 400 वर्ग फीट, 37.16 वर्ग मीटर, पट्टा नंबर 50, बही नंबर 016, मिसल नंबर 05/2024–25, गांव खुदी कलां, डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। सब–रजिस्ट्रार कार्यालय बही नंबर 1, जिल्द नंबर 162, पेज नंबर 101, सीरियल नंबर 202403176100936, दिनांक 18–09–2024 में श्री कैलाश चंद्र काशीराम, पुत्र श्री काशीराम के नाम पंजीकृत। चौहद्दी : पूरबः कैलाश पुत्र श्रवण राम का मकान, पश्चिमः सुरेश पुत्र गीगा राम का मकान, उत्तरः निकास और सार्वजनिक रोड, दक्षिणः सुनील पुत्र भीयाराम और देवाराम पुत्र मनीराम का मकान **ऋण खाता सं. , मांग सूचना तिथि और राशि** **ऋण खाता सं. :** 103041548680, **मांग सूचना तिथि :** 13–05–2026 **बकाया राशि :** रुपये 3,15,000/– (रुपये तीन लाख पंद्रह हजार मात्र) 12–05–2026 तक **एनपीए तिथि : 06–05–2026**

दिनांक : 13–05–2026, स्थान : नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

SHRIRAM Finance
SHRIRAM City — MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032
शाखा कार्यालय : यूजीएफ–12–21, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, 14 अम्बा दीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बाराखम्भा, नई दिल्ली–110001, वेबसाइट : www.shriramhousing.in

माँग सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड" को "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30–11–2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।
उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम तथा पता	बकाया राशि
ऋण संख्या **J0DP2LP2111080001** 1. मैसर्स बी आर ट्रेडिंग (कर्जदार) (इसके मालिक बाबू लाल आकाश बाबू लाल सांखला के माध्यम से) दुकान नं. ए-14, न्यू सब्जी मंडी, भदसिया, जोधपुर-342001 2. बाबू लाल (सह-कर्जदार/गारंटर) (काका बाबू लाल सांखला) प्रोपराइटर मैसर्स बी.आर. ट्रेडिंग इमर्तिया बेरा, पावटा सी रोड, जोधपुर, राजस्थान- 324006 3. शिव सिंह (सह-कर्जदार/गारंटर) (आका शिव सिंह सांखला) इमर्तिया बेरा, पावटा सी रोड, जोधपुर, राजस्थान- 324006 4. बंशी लाल (सह-कर्जदार/गारंटर) (आका बंशी लाल सांखला) इमर्तिया बेरा, पावटा सी रोड, जोधपुर, राजस्थान- 324006 5. कमला (सह-कर्जदार/गारंटर) इमर्तिया बेरा, पाओटा सी रोड, जोधपुर, राजस्थान- 324006 एनपीए तिथि : 05 मई, 2026 मांग सूचना की तिथि : 08.05.2026	06 मई, 2026 तक रु. 1,07,91,003.91/- (रुपये एक करोड़ सात लाख इक्यानवे हजार तीन और इक्यानवे पैसे मात्र), साथ ही नियमों और शर्तों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। **ऋण राशि** रु. 1,25,00,000/- ऋण खाता सं. **J0DP2LP2111080001**

प्रतिभूत आस्तियों का सम्पत्ति पता

जमीन/फ़्लैट का वह पूरा हिस्सा, जिसका प्लॉट नंबर 281 और खसरा नंबर 167 है, जो इमर्तिया बेरा, पाओटा उ रोड, जोधपुर, तहसील और ज़िला जोधपुर, राजस्थान में स्थित है, और जिसका कुल क्षेत्रफल 1657.82 वर्ग गज है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में - अपनी जमीन, दक्षिण में - अपनी जमीन, पूर्व में - रास्ता, पश्चिम में - रास्ता।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को उपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार द्वारा बंधककर्ताओं की उपर्युक्त आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : जोधपुर
दिनांक : 14.05.2026

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः– ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तृतीय 'ए' क्रॉस, 18जी मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095 क्षेत्रीय कार्यालयः– जी एम टी टी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (यूपी)–201301
शाखा कोटाः प्लॉट नंबर 6, झालवार रोड, छावनी चौराहे के पास, गुमानपुरा, कोटा – 324007 संपर्क व्यक्तिः (1) सौरभ गुप्ता, मो. 8112269452 (2) संजय शर्मा, मो. 9983365566

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की तिथि और मांग राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी भेजने हेतु खाता विवरण
1.	2224250260000009	(1) श्रीमती सुषमा कंवर पत्नी नवीन सिंह (2) श्री नवीन सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह @ रामस्वरूप सिंह	28.04.2025 रु. 6,45,596/–	04.08.2025 (भौतिक कब्जा)	रु. 9,20,287/– (दिनांक 11.05.2026 तक)	26.05.2026 अपॉ. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 6,29,000/–	रु. 62,900/–	05.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे से अपॉ. 01.00 बजे तक	04.06.2026 को अपॉ. 04.00 बजे तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में कोटा शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी /आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।
	वह समस्त भाग और हिस्से का (दक्षिणी भाग) आवासीय प्लॉट संख्या 1 (कॉर्नर), खसरा संख्या 263/106 का भाग जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग फुट कॉर्नर, अशोका नगर, ग्राम रोजड़ी, उप–तहसील मंडाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान जिसकी सीमाएँ: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः प्लॉट संख्या 2, उत्तरः प्लॉट संख्या 1 का भाग, दक्षिणः प्लॉट संख्या 20										

नियम एवं शर्तें–
ई–नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' आधार पर आयोजित की जायेगी।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं की संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रभाकरन (मो. संख्या 7418281709) (इच्छुक बोलीदाताओं की संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, नीलामी पोटल– https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव निविदा की स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक विक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए विक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले विक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि की जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेवार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक–अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथिः 13.05.2026 स्थानः कोटा (राजस्थान)
प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक